


57

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ~~द्वारा~~



प्रा. निगरानी/रीवा/भू.रा.०/२०१७/११५८

श्रीमती रुषा शर्मा पत्नी रामभिलाष शर्मा, पुत्री भीमसेन, उम्र 55 वर्ष,  
पेशा खेती, निवासी ग्राम-नरहा, तहसील-गुढ़, हालनिवासी- उरहट,

श्री. आर-७७/६३७, रीवा, तहसील हुजूर, जिला-रीवा (म०प्र०)

द्वारा आज दि. 14-6-17 को

निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती सुनैना उपाध्याय पत्नी तामेश्वर प्रसाद उपाध्याय, निवासी  
ग्राम-नरहा, तहसील-गुढ़, जिला-रीवा (म०प्र०)

गैरनिगराकार

प्रार्थना-पत्र निगरानी विरुद्ध अवैधानिक कार्यवाही जो नायब तहसीलदार साहब, तहसील गुढ़ जिला-रीवा के प्रकरण क्र. 19/अ-70/2016-17 को गायब कर बिना सुने नई अधूरी पत्रावली तैयार कर पीछे की तारीख में आवेदिका की सुनवाई किये बिना दिनांक 23.05.2017 को निरस्त किया गया।

अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई.

मान्यवर,

प्रार्थना-पत्र निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1. यह कि नायब तहसीलदार, सा० तहसील गुढ़ (श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा) द्वारा जो कार्यवाही प्रकरण क्र. 19/अ-70/2016-17 में

आर-७७-११५८  
१४-६-१७

II/10012100/10011/21/2017/1758

719117

आवेदक शर्मिष्ठा - आर.एस. सेक्टर 34/1  
उत्तरे बारा निवासे तिया हुँकि-पुर्को वरु  
आगे नही चलाया-वादेवेदु अरु इन्डे  
अनुशय 02- पुर्को व चलाये के काणे  
पुर्को इरने स्तर पर- समाप्त तियावाका  
है

~~आवेदक~~

m